छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2021 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार,दिनांक 27 जुलाई, 2021 (श्रावण 5,1943)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा उसकी सहायक कंपनियां–

(i) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड,

(ii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,

(iii) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा

(iv) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017--2018 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 12085/3272/21–ब/ छ.ग./2019, दिनांक 23 नवम्बर,2019 पटल पर रखेंगे।

(3) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 98 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–2020 पटल पर रखेंगे।

(4) श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 पटल पर रखेंगी।

क्रमशः 2

3. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर शहर के शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण कार्य नहीं किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य, दुर्ग–रायपुर बाईपास सड़क निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किय जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. वित्तीय वर्ष 2021–2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2021–2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

6. मंत्री का वक्तव्य

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या–31 (क्रमांक–892) के उत्तर के संबंध में वक्तव्य देंगे।

7. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय

1 घंटा 30 मिनट (1) छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (पी एम ए वाई) (ग्रामीण व शहरी) का कार्य धीमी गति से चलने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

1 घंटा 30 मिनट (2) प्रदेश की हसदेव एवं मांड नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के वनों में कोयला खनन की अनुमति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 26 जुलाई, 2021